रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1648] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2015/श्रावण 16, 1937
No. 1648] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2015/SHRAVANA 16, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा यूनिट)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2015

का.आ. 2137(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 28.05.2015 को फाइल संख्या-673/18/2015 - कस्टम VIII **के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री कुन्हायनकुट्टी उर्फ कुट्टी, सुपुत्र श्री खादेर, कक्कातुमल हाउस, कयान्ना बाजार, पेराम्बरा वाया, कोझीकोडे को केन्द्रीय कारागार, तिरूवनंतपुरम में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी करने और तस्करी किए गए माल के परिवहन और छिपाने से उन्हें रोका जा सके ।**

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके ।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) केरल सरकार, तिरूवनंतपुरम के सामने उपस्थित हो ।

[फा. सं. 673/18/2015-कस्टम VIII**]**

पी. वी. सुब्बा राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA UNIT)

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2015

S.O. 2137(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/18/2015-Cus.VIII, dated 28.05.2015 under the said sub-section directing that Shri Kunhayankutty@Kutty, S/o Shri Khader, Kakkattummal House, Kayanna Bazar, Perambra Via, Kozhikode be detained and kept in Central Prison, Thiruvananthapuram with a view to preventing him from indulging in abetting the smuggling of goods, transporting or keeping smuggled goods or dealing in smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/18/2015-Cus. VIII]

P. V. SUBBA RAO, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.